उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
सख्या 133/2025/2940/ तीस-3-2025 (ई-2001820)
लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2025

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

रिट याचिका संख्या-21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2025/सपठित त्रुटि निवारित आदेश दिनांक 05.05.2025 के अनुपालन में परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री बिनय कुमार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-196) तथा श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-197) की उनसे कनिष्ठ श्री संजय कुमार झा (वरिष्ठता क्रमांक-202) की पदोन्नति की तिथि से निम्न विवरण के अनुसार पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति	संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति
1	श्री बिनय कुमार सिंह	(वरिष्ठता क्रमांक-196)	दिनांक 23.06.2014 से दिनांक 13.08.2019 तक नोशनल पदोन्नति	दिनांक 16.02.2023 से नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति
2	श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह	(वरिष्ठता क्रमांक-197)	दिनांक 23.06.2014 से दिनांक 15.02.2023 तक नोशनल पदोन्नति	दिनांक 16.02.2023 से नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति

2- उक्त पदोन्नति के क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3- उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
ह0/-
(के0पी0सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एव हक०) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संबंधित उप परिवहनआयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी।
5. संबंधित मंडलायुक्त/जिलाधिकारी
6. संबंधित कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।